

13-4-17

पत्रावली पेश हुई। तदानीलवाट से मॉकारिपोर्ट
प्राप्त हुई। मॉकारिपोर्ट को सामिल फाइल
किया गया। मॉकारिपोर्ट का मन्न किया
मॉकारिपोर्ट तथा बहक पर मन्न किया।
पत्रावली का अवलोकन किया।

वासीगणों द्वारा कोड अन्तर्गत धारा
89, 53 पेश कर विवेकन किया गया था
कि ग्राम अनेपपुर की आजी नं 16, 17,
18, 21, 59, 105, 106, 107, 109, 110, 111 अल
किया ॥ रकबा 4.08 हेक्टर वर्तमान में

प्रतिवादी गणों के नाम दर्ज हैं यह सेचलमेन्ट
की गलती है इन्होंने तथा सचय पेश कर
बताया गया है कि हम वाडीगण भी उसके
कारिशांन हैं तथा हमे खतिडाए घोषित
मिया गए ।

प्रतिवादीगणो डाए बताया गया कि
यह पत्नीन इनके दादा के नाम है 1962 में
जगला पिता गुमान के ~~के~~ नाम दर्ज इरि थी
वाडीगण गाँव छोड़कर अन्य गाँव चले गए
थे तथा 1962 से लगातार जगला व
उसके कारिशांन ही सूपी कार्म इम्ह आगरी
पर कर रहे हैं इम्ह आगरी पर करी भी
वाडीगणो का करका माशत नही रहा है यह
लोग वर्तमान मे उकसाने से तथा पत्नीनके
भाव बदने से हमारे परदावा बेशक
रहे हैं कत। इन्का दावा खाली मिया
पनि ।

पत्रावली का खवलोकन मिया, वाडपत्र
का खवलोकन मिया, तहसीलदाए डाए प्राह
मौका रिमार्ड, मौतबिलान के बयान, गवाह
तथा बहद पर मनन व खवलोकन मिया।
उपरोम्ह के खवलोकन व मनन कने पर
पाया गया कि वाडीगण का करी भी इम्ह
आगरीपर करका माशत नही रहा कत।
रा मल धाए 88 में लाया गया दावा
खाली मिया जाता है तथा डीग्री जारी
म पत्रावली खाली मी पाकर पजील

दस्तावेज नमूने के अर्थ में नहीं

३१

13/9/12